

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/3/2009-10/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर

विषय:- तहसील डीडवाना, जिला नागौर के 5 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसंग:- राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(4) राज-1/2008 दिनांक 03.09.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील डीडवाना, जिला नागौर के 5 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना दिनांक 03.09.2019 अन्तर्गत धारा 106, 107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

हो

(महेन्द्र कुमार पारख)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/1583

दिनांक:- 16/9/19

✓प्रतिलिपि:- प्रभारी आई.टी. शाखा, मुख्य कार्यालय जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है ।

हो

अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.-1/2008

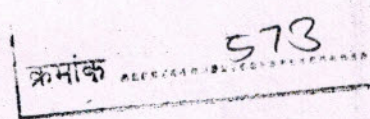
जयपुर, दिनांक 3-9-19

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना जिला नागौर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 172 ग्रामों में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जाकर पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य को अधिसूचना दिनांक 17.06.2016, 21.02.2017, 04.09.2017, 13.06.2018, 25.09.2018, 10.01.2019, 08.02.2019, 08.03.2019 एवं 17.06.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 05 ग्राम यथा आजडोली, चौमू, डसाना खुर्द, कोडियां एवं रामश्यावास में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त 05 ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

R.R.
3
12-9-19



(राकेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. ☒ भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009-10/860 दिनांक 24.05.2019 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/205
13/9/19

एन.एन.
12/9/19

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

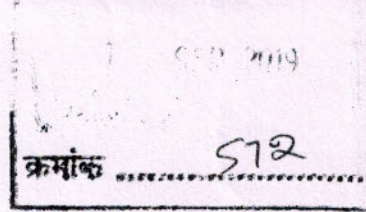
क्रमांक : प0 13(4)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 3-9-19

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना जिला नागौर के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 172 ग्राम अधिसूचना दिनांक 17.06.2016, 21.02.2017, 04.09.2017, 13.06.2018, 25.09.2018 10.01.2019, 08.02.2019, 08.03.2019 एवं 17.06.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 05 ग्राम यथा आजडोली, चौमू, डसाना खुर्द, कोडियां एवं रामश्यावास के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से उक्त 05 ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(राकेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

2. जिला कलक्टर, नागौर।

3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009-10/860 दिनांक 24.05.2019 के क्रम में।

4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।

5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।

6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/204
13/9/19